



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-37

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 262502 दिनांक 16/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Sub Division and Reconstitution जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Rajesh Kumar Sharma S/o NARSINGH LAL SHARMA एवं Nishit Bhardwaj S/o Rajesh Kumar Sharma	राजेश शर्मा पुत्र श्री गेदी लाल शर्मा जरिये मुख्ताराम वीरेन्द्र सिंह यादव	127	275.55 SQ. YARD	Private	PATEL NAGAR Sector/Block-	Sub Division and Reconstitution	निजी खातेदारी की योजना पटेल नगर के भूखण्ड संख्या 127 क्षेत्रफल 275.55 वर्ग मीटर लीज होल्ड पट्टा राजेश शर्मा पुत्र श्री गेदी लाल शर्मा जरिये मुख्ताराम वीरेन्द्र सिंह यादव के नाम जारी किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 03.01.2008 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से भूखण्ड संख्या 127 क्षेत्रफल 275.55 वर्ग मीटर का बैचान श्रीमती कमलेश यादव पत्नी श्री मानसिंह यादव को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या 127 क्षेत्रफल 275.55 वर्ग मीटर से भूखण्ड



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

संख्या 127(नोर्थ पार्ट) 137.77 वर्ग गज जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2011 के माध्यम से श्रीमती सुमनलता शर्मा पत्नी श्री राजेश कुमार शर्मा को बैचान कर दिया गया। श्रीमती सुमनलता की मृत्यू दिनांक 02.03.2022 को हो जाने के कारण श्री राजेश कुमार शर्मा सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड का उपविभाजन किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Sub Division and Reconstitution जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Rajesh Kumar Sharma S/o NARSINGH LAL SHARMA एवं Nishit Bhardwaj S/o Rajesh Kumar Sharma को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।

2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |